

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
कार्यालय-उपजिलाधिकारी, तहसील विकासनगर, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : ३७ / वाद सं०-सी-०६०६/एस-सहसपुर/२०२३

दिनांक: ०५/०९/२०२५

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री स्वराज/भीम सिंह/हुकम चन्द, निवासी मेंदनीपुर, बद्रीपुर, शिमला बाईपास रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये भूतल पर लगभग १० बीघा भूमि पर प्लाट व सड़क हेतु रोडियाँ डाली गयी हैंके कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३) संशोधन अधिनियम २००९, की धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं० सी-०६०६/एस-सहसपुर/२०२३ योजित किया गया। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक ११/०९/२०२३ को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

पी०अधि०/उपजिलाधिकारी,
कार्यालय-उपजिलाधिकारी,
तहसील विकासनगर, देहरादून।

- प्रतिलिपि:-१. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
२. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
३. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
४. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
५. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे०सी०बी० एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
६. विपक्षी श्री स्वराज/भीम सिंह/हुकम चन्द, निवासी मेंदनीपुर, बद्रीपुर, शिमलाबाईपास रोड, देहरादून क्षेत्र अभियान्ताओं की आख्या २८.०१.२०२५ के अनुसार उक्त अनाधिकृत/अवैध प्लानिंग कि डिमार्केशन को प्राधिकरण द्वारा ११.०९.२०२४ को ध्वस्त किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा पुनः इन्टर लॉक टाईल सड़क का निर्माण किया जा रहा है अतः आपको सूचित किया जाता है कि नियत तिथि पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना समस्त समान हटा लें। शेष नियम व शर्त पूर्व प्रेषित पत्रांक २०८९ दिनांक १८-०७-२०२३ आदेश की शर्त यथावत रहेगी। तदनुसार सूचित हों।

०५/०९/२५

०५/०९/२५

पी०अधि०/उपजिलाधिकारी,
कार्यालय-उपजिलाधिकारी,
तहसील विकासनगर, देहरादून।